EMAIL

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/212 पार्ट/1304 भोपाल, दिनांक24/05/2022

प्रति

1-संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (समस्त)--------

2- भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
(समस्त फल-सब्जी मंडी)

विषय- अधिसूचित फल-सब्जी मंडियों में प्याज की नीलामी मंडी कर्मचारियों से कराने के संबंध में।

प्रदेश की फल-सब्जी हेतु अधिसूचित मंडियों में विपणन व्यवस्था के लिये उपविधि सन 2000 प्रभावशील है जिसके तहत मंडी प्रांगणों में फल-सब्जी के क्रय-विक्रय पर नियमन लागू किया गया है। वर्तमान में प्याज उत्पादक क्षेत्र की मंडियों में व्यापक मात्रा में प्याज की आवक प्रारंभ हो गई है, परन्तु गत वर्ष की अपेक्षा प्याज का विक्रय मूल्य कम परिलक्षित हो रहे हैं।

अतः समस्त फल-सब्जी के लिये अधिसूचित मंडी प्रांगणों में प्याज की आवक पर सतत निगरानी रखी जाकर प्रचलित मॉडल भाव को संज्ञान में रखते हुए मंडी कर्मचारियों के माध्यम से प्याज का घोष निलामी प्रारंभ करवाकर प्रतियोगितात्मक विक्रय मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल